न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 224/2021

1. पतराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादी

दावा बाबत : रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी: वादी
राज पैरोकार : प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक : 19.05.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 3 जे एस एल के खाता सं0 75/129 के मु0नं0 54 के किला नं0 23 व 24, मु0नं0 57 के किला नं0 3 व 4 की 0.910 है0 नहरी खातेदारी वादी व वादी के भाईयों के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 4 जे एस एल के खाता संख्या 227/207 के मु0न0 134 के किला नं0 13 ता 18, मु0न0 135 किला नं0 11, 12, 13/1, 19/1, 20 कुल 2.428 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी वादी के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

ऊपर वर्णित भूमि में वादी का नाम पतराम उर्फ धनपत पुत्र रामजस दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी का सही नाम पतराम है। वादी के नाम के साथ उर्फ धनपत लगने से वादी को काफी परेशानी होती है तथा वादी को केसीसी आदि भी नहीं मिल पा रही है तथा ना ही वादी अपनी कृषि भूमि का फसल बीमा करवा पा रहा है। वादी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य सभी प्रकार के दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी का सही नाम पतराम वल्द रामजस दर्ज चला आ रहा है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पतराम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 1 ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 पतराम, पीडब्ल्यू 2 भजनलाल, पीडब्ल्यू 3 हरिसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी बेर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा 3 जेएसएल के खाता सं0 75/129 संवत 2075–78 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मोजा 4 जेएसएल के खाता सं0 227/207 संवत 2076–79 प्रदर्श 2, चित्रप्रति राशन कार्ड प्रदर्श 3, चित्रप्रति पहचान पत्र चुनाव आयोग प्रदर्श 4, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5, शपथपत्र पतराम प्रदर्श 6, शपथपत्र हरिसिंह भागीरथ भजनलाल कृष्णचन्द पि0 रामजस प्रदर्श 7, ग्राम पंचायत निनाण द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर स्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मोजा जे एस एल के खाता सं0 75/129 के मु0नं0 54 के किला नं0 23 व 24, मु0नं0 57 के किला नं0 3 व 4 की 0.910 है0 नहरी खातेदारी वादी व वादी के भाईयो के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 4 जे एस एल के खाता संख्या 227/207 के मु0न0 134 के किला नं0 13 ता 8, मु0न0 135 किला नं0 11, 12, 13/1, 19/1, 20 कुल 2.428 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी वादी के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम पतराम वल्द रामजस की जगह पतराम उर्फ धनपत वल्द रामजस दर्ज हो गया। जबकि वादी का सही नाम पतराम वल्द रामजस है, वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो पतराम के नाम से ही है व पटवारी हल्का गढ़ी छानी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुताबिक साक्ष्य दस्तावेज नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 3 जे एस एल के खाता सं0 75/129 के मु0नं0 54 के किला नं0 23 व 24, मु0नं0 57 के किला नं0 3 व 4 की 0.910 है0 नहरी खातेदारी वादी व वादी के भाईयों के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 4 जे एस एल के खाता संख्या 227/207 के मु0न0 134 के किला नं0 13 ता 8, मु0न0 135 किला नं0 11, 12, 13/1, 19/1, 20 कुल 2.428 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी वादी के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का नाम पतराम वल्द रामजस की जगह पतराम उर्फ धनपत वल्द रामजस दर्ज हो गया है। उसमें वादी का नाम पतराम उर्फ धनपत वल्द रामजस की जगह पतराम वल्द रामजस किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में पतराम उर्फ धनपत पुत्र रामजस के स्थान पर पतराम पुत्र रामजस दर्ज किया जाकर दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच पतराम उर्फ धनपत वल्द रामजस के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में पतराम उर्फ धनपत वल्द रामजस के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी पतराम उर्फ धनपत वल्द रामजस के नाम ही प्रभावी माना जावेगा, तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 224/2021

1. पतराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी व राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 जे एस एल के खाता सं0 75/129 के मु0नं0 54 के किला नं0 23 व 24, मु0नं0 57 के किला नं0 3 व 4 की 0.910 है0 नहरी खातेदारी वादी व वादी के भाईयों के नाम से दर्ज खातेदारी भूमी व चक 4 जे एस एल के खाता संख्या 227/207 के मु0न0 134 के किला नं0 13 ता 8, मु0न0 135 किला नं0 11, 12, 13/1, 19/1, 20 कुल 2.428 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी वादी के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज उसमें वादी का नाम पतराम वल्द रामजस की जगह पतराम उर्फ धनपत वल्द रामजस दर्ज हो गया है। उसमें वादी का नाम पतराम उर्फ धनपत की जगह पतराम वल्द रामजस किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.04.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner